वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 20.02.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, हिन्दुस्तान, भारत एकता टाइम्स, ज्ञानशिखा, परफेक्ट मिशन,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 20.02.2025

अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कराएं : अपर सचिव

वाराणसी। वीडीए में बुधवार को लंबित शमन मानचित्रों की समीक्षा की गई। अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने कहा कि शहर में हो रहे अनियोजित विकास और अवैध प्लॉटिंग को चिह्नित कर नियमानुसार ध्वस्तीकरण कराएं। वार्ड शिवपुर, सिकरौल में वित्तीय वर्ष 2024-25 में अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि 9,78,24,669 रुपये जमा कराए। वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा में अप्रैल से अब तक 6,63,23,831 रुपये जमा कराए गए हैं। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के खिलाफ प्रभावी प्रवर्तन की कार्रवाई होगी। सील प्रकरणों की जांच और बेसमेंट खाली कराते हुए पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। जन शिकायतों के निस्तारण को 1 सप्ताह में पूरा करने को कहा। किसी भी काम में लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। उधर, वीडीए की ओर से बुधवार को अवैध निर्माण सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार, भेलूपुर वार्ड में रवींद्रपुरी के सामने अनूप पोद्दार की ओर से बगैर नक्शा पास कराए अवैध निर्माण कराया जा रहा था। जोनल अधिकारी संजीव कुमार ने सील किया। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 20.02.2025

नवनिर्मित भवन हुआ सील

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर अभियंताओं की टीम ने बुधवार को भेलूपुर के भवन संख्या २७/७० में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भवन का निर्माण कर रहे अनुप पोद्दार के प्रयासों को विफल करते हुए नवनिर्मित भवन को सील कर दिया। इतना ही नही अभियंताओं की टीम ने कार्य कर रहे मजदूरों को हटा–बढ़ाकर संबंधित थाने की अभिरक्षा में भवन को सौंप दिया। मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता सोनू कुमार सहित सुपरवाइजर और प्रवर्तन दल मौजूद थे।

हिन्दुस्तान–दि0 20.02.2025

भेलूपुर में बिना मानचित्र चल रहा निर्माण सील

वाराणसी। विकास प्राधिकरण की ओर से बुधवार को अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। जोनल अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि वार्ड–भेलूपुर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 3000 स्क्वायर फीट में निर्माण कराया जा रहा था। जांच के बाद भवन को सील कर दिया गया।

हिन्दुस्तान–दि0 20.02.2025

मानचित्रों का जमा कराए शमन शुल्क

वाराणसी। वीडीए सभागार कक्ष में बुधवार को अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने बैठक की। इमसें जोन-1 एवं जोन-2 के कार्यों की समीक्षा की गई। अपर सचिव ने लंबित शमन मानचित्रों निस्तारण का निर्देश दिया। निर्देश दिया कि बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार आदि अफसर मौजूद रहे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

भारत एकता टाइम्स–दि0 20.02.2025

शमन शुल्क न जमा कराने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

भारत एकता टाइम्स/वाराणसी

विकास प्राधिकरण अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा की अध्यक्षता में जोन-1 और जोन-2 की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लंबित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए इनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। अपर सचिव ने हिदायत दिया कि शमन मानचित्र जमा न करने वालों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में 9 फरवरी से 15 फरवरी तक शमन शुल्क के रूप में कुल 26,23,662 जमा किए गए। इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में अप्रैल से अब तक कुल 9,78,24,669 की शमन धनराशि प्राप्त हो चुकी है। इसी प्रकार, जोन-2 के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा एवं विन्यास में इसी अवधि के दौरान 37,96,046 की शमन धनराशि जमा हुई, जबकि इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 6,63,23,831 एकत्र किए जा चुके हैं। बैठक में अपर सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वीकृत शमन पत्रावली के बावजूद बकाया शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं पर सख्त प्रवर्तन और विधिक कार्रवाई की जाए। साथ ही, सील किए गए मामलों की जांच कर अवैध रूप से उपयोग हो रहे बेसमेंट को खाली करवाकर पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए कहा गया कि अधिकतम एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित शिकायतों का समाधान किया जाए। शहर में अनियोजित विकास और अवैध प्लॉटिंग की पहचान कर नियमानुसार ध्वस्तीकरण एवं अन्य प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।

भारत एकता टाइम्स–दि0 20.02.2025

तन गई 04 मंजिला बिल्डिंग, सील

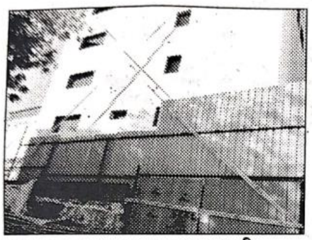

एक्शन

✡ विकास प्राधिकरण ने रविंद्रपुरी इलाके में की कार्रवाई

भारत एकता टाइम्स/वाराणसी

भेलूपुर थाना क्षेत्र में रविंद्रपुरी में बिना नक्शा पास हुए चार मंजिला बिल्डिंग तन गई और वीडीए सोता रहा। बेसमेंट से लेकर चौथी मंजिल बन जाने के बाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की नींद खुली और पहुंचे विधिक कार्रवाई करने। विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी संजीव कुमार, जेई सोनू कुमार प्रवर्तन दल के साथ भेलूपुर इलाके पहुंचे और 3000 स्क्वायर फीट में तैयार हुए बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर समेत निर्माणाधीन चार मंजिला को सील कर दिया। बिल्डिंग के ओनर अनूप गुप्ता को नक्शा पास कराए बिना निर्माण पर नोटिस थमाने के साथ ही सील की गई बिल्डिंग को पुलिस की अभिरक्षा में सौंप दिया गया। विकास प्राधिकरण लगातार प्लाटिंग करने और गैर कानूनी तरीके से अपार्टमेंट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जिससे परेशान वह लोग हैं जो बिल्डर और प्लाटिंग करने वालों के झांसे में आकर जमीन और फ्लैट में इन्वेस्ट कर रहे है। वीडीए की कार्रवाई से अपना पैसा डूबने की चिंता खाए जा रही। वीडीए सचिव पुलकित गर्ग का कहना है कि विकास प्राधिकरण लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि प्लाट हो या फिर फ्लैट, पूरी जांच पड़ताल के बाद ही अपना पैसा लगाए। यह जानकारी अवश्य कर लें कि आप जिस जमीन या निर्माणाधीन बिल्डिंग में पैसा लगा रहे है, उसका नक्शा वीडीए से स्वीकृत है या नहीं। पब्लिक जागरूक होगी तो बड़े नुकसान से बच जाएगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 20.02.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण के अपर सचिव ने की समीक्षा बैठक

वाराणसी। उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशों के क्रम में बुधवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के सभागार कक्ष में अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी, समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 09.02.2025 से 15.02.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 26,23,662.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-9,78,24,669.00 एवं जोन-2 के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा एवं विन्यास में विगत दिनांक 09.02.2025 से 15.02.2025 तक शमन

शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 37,96,046.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-6,63,23,831.00 जमा कराया गया है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देश दिया गया।सील प्रकरणों की जाँच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक में अपर सचिव द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि सौंपें गये कार्यों के प्रति कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा। उक्त समीक्षा बैठक में जोन-1 के जोनल अधिकारी, श्री शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता, श्री विजय सिंह, अवर अभियन्ता, सुश्री प्रिया अग्रहरि, भवन लिपिक, श्रीमती किरन सिंह एवं जोन-2 के जोनल अधिकारी, श्री प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता, श्री विनोद कुमार, अवर अभियन्ता, सुश्री वर्तिका दुबे सहित भवन लिपिक, श्री रक्षित रघुवंशी एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 20.02.2025

वाराणसी जोन-4 वार्ड-भेलूपुर के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड-भेलूपुर के अंतर्गत अनूप पोद्दार भवन सं0- 27/70,

रवीन्द्रपुरी के सामने, वार्ड-भेलूपुर थाना- भेलूपुर जिला- वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 3000 स्क्वायर फीट में पर निर्माण कर पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सील की कार्यवाही की गयी थी तथा सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार ,अवर अभियंता सोनू कुमार प्रवर्तन टीम उपस्थित रही। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

परफेक्ट मिशन–दि0 20.02.2025

वीडीए अपर सचिव ने जोन 1 और जोन 2 का किया समीक्षा

❑ बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को दिया निर्देश

परफेक्ट मिशन

वाराणसी। उपाध्यक्ष के निर्देशों के क्रम में बुधवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के सभागार कक्ष में अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 09.02.2025 से 15.02.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 26,23,662.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-9,78,24,669.00 एवं जोन-2 के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा एवं विन्यास में विगत दिनांक 09.02.2025 से 15.02.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 37,96,046.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-6,63,23,831.00 जमा कराया गया है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देश दिया गया। सील प्रकरणों की जाँच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय।

शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक में अपर सचिव द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि सौंपे गये कार्यों के प्रति कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा। उक्त समीक्षा बैठक में जोन-1 के जोनल अधिकारी, शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता, विजय सिंह, अवर अभियन्ता, प्रिया अग्रहरि, भवन लिपिक, किरन सिंह एवं जोन-2 के जोनल अधिकारी, प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता विनोद कुमार, अवर अभियन्ता, वर्तिका दुबे सहित भवन लिपिक रक्षित रघुवंशी एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।